

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 569/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, एम्बीशन टॉवर, ऑफिस नं. 307-312, तृतीय तल, अग्रसेन सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री संताराम,
पता:- मकान नं. 62/18, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।
एवं एचआरजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., यूनिट एस एचआरजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., न्यू आतिश मार्केट,
मानसरोवर, जयपुर।
एवं प्लेट नं. C3E-117, प्रथम तल, ब्लॉक-सी, श्री आश्रय एमरल्ड, महापुरा, सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री सुरेन्द्र शर्मा,
पता:- प्लेट नं. C3E-117, प्रथम तल, ब्लॉक-सी, श्री आश्रय एमरल्ड, महापुरा, सांगानेर, जयपुर।
एवं मकान नं. 62/18, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



उपस्थित-

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री अविनाश कुम्भज, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.10.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.12.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पार्वती के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. C3E-117, प्रथम तल, ब्लॉक-सी(ईडब्लूएस), मुख्यमंत्री जन आवास योजना, श्री आश्रय एमरल्ड, खसरा संख्या 2080/690, 2081/694, 2082/695, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल कारपेट एरिया 268.12 वर्गफीट, एक्सक्यूजिव बॉलकनी एरिया 14.42 वर्गफीट, बिल्टअप एरिया 299.45 वर्गफीट एवं सुपर बिल्टअप एरिया 367.15 वर्गफीट को बन्धक रख कर 05,01,515/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,01,515/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 05,50,805/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पार्वती के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. C3E-117, प्रथम तल, ब्लॉक-सी(ईडब्लूएस), मुख्यमंत्री जन आवास योजना, श्री आश्रय एमरल्ड, खसरा संख्या 2080/690, 2081/694, 2082/695, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल कारपेट एरिया 268.12 वर्गफीट, एक्सक्लूजिव बॉलकनी एरिया 14.42 वर्गफीट, बिल्टअप एरिया 299.45 वर्गफीट एवं सुपर विल्टअप एरिया 367.15 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



आदेश आज दिनांक 13.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

५४
(प्रकाश सजासुदित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर